विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके सम्बंधित विधानो के तहत् होती है। 31 मार्च 2012 को राजस्थान राज्य में 44 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम (41 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे, जिसमें 0.87 लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 32440.58 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य जीडीपी के 8.81 प्रतिशत के बराबर था, जो सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2012 को 47 पीएसयूज में ₹ 59724.03 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2006-07 के ₹ 16485.41 करोड़ से 262.28 प्रतिशत बढ़ गया। 2011-12 में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, कुल निवेश का 93 प्रतिशत के लगभग था। सरकार ने 2011-12 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य में ₹ 10327.42 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

2011-12 में, कार्यरत 44 पीएसयूज में से, 14 पीएसयूज ने ₹ 1026.90 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 21 पीएसयूज ने ₹ 258.35 करोड़ की हानि वहन की, जबकि 2000-01 में समामेलित ऊर्जा क्षेत्र के तीन पीएसयूज ने, अपने खातों में राजस्व के अन्तर को राज्य सरकार से वसूलनीय दर्शाते हुए न लाभ न हानि आधार पर तैयार किये थे। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 463.48 करोड़) एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 403.97 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (₹ 130.89 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

हानियाँ पीएसयूज के क्रियाकलापों में विभिन्न कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 138.11 करोड़ की हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी।

इस प्रकार, कार्यप्रणाली में सुधार कर लाभों को बढ़ाने की अत्याधिक सम्भावनाऐं है। पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक निभा सकते हैं यदि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2011 से 30 सितम्बर 2012 तक अंतिम रूप दिये गये 33 लेखों में से 19 लेखों ने मर्यादित प्रमाण-पत्र व एक लेखे पर अस्वीकृति (लेखापरीक्षक लेखों पर धारणा बनाने में असमर्थ थे) सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त किये। लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने

के 36 मामले थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कम्पनियों के आन्तरिक नियत्रंण पर प्रतिवेदनों में अनेक क्षेत्रों में कमियाँ इंगित की।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2012 को 20 कार्यरत पीएसयूज के 33 लेखे बकाया थे। तीन अकार्यरत पीएसयूज में से एक पीएसयू के लेखे दो वर्षों हेतु बकाया थे। सरकार इन तीन अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

(अध्याय I)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

विद्युत प्रसारण उपक्रम यथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं **राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा** की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है।

विद्युत प्रसारण उपक्रम यथा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

राजस्थान में विद्युत प्रसारण एवं ग्रिड संचालन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किया जाता है। 31 मार्च 2012 को आरआरवीपीएनएल के पास 42972.50 एमवीए की क्षमता के साथ 418 जीएसएस एवं 220 केवी पर 17425 एमवीए प्रतिवर्ष पारेषित करने में सक्षम 28363.28 सीकेएम की प्रसारण लाईनें थी। 2007-12 के दौरान आरआरवीपीएनएल ने विद्यमान क्षमता को 10533 एमवीए तक बढ़ाने के अलावा 115 जीएसएस (7250 एमवीए) एवं 233 लाईनों (7308.33 सीकेएम) का निर्माण किया। विद्युत का प्रसारण 2007-08 में 34519.12 मिलियन इकाईयों (एमयूज) से बढ़कर, मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान 38.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए, 2011-12 में 47977.61 एमयूज हो गया। 2010-11 में आरआरवीपीएनएल का टर्नओवर ₹ 1652.55 करोड़ का था, जो कि राज्य पीएसयूज के क्रमशः 5.48 प्रतिशत एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 0.51 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2012 को आरआरवीपीएनएल में 9157 कर्मचारी कार्यरत थे।

नियोजन एवं विकास

आरआरवीपीएनएल ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान ईएचटी जीएसएस एवं ईएचटी लाईनों हेतु लक्षित परिवर्धन प्राप्त किया था। ईएचटी लाईनों के मामले में 6935 सीकेएम के लक्ष्यों के समक्ष वास्तविक परिवर्धन 7308.33 सीकेएम (105.38 प्रतिशत) था। वोल्टेज-वार नियोजित क्षमता परिवर्धन एवं इसके समक्ष वास्तविक निष्पादन से प्रकट हुआ कि 2007-12 के दौरान 220 केवी के 31 जीएसएस के नियोजित परिवर्धन के समक्ष वास्तविक परिवर्धन 132 केवी से 220 केवी श्रेणी में उच्चीकृत किये गये 13 जीएसएस को शामिल करते हुये 27 जीएसएस का था।

प्रसारण तंत्र का परियोजना प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ने टास्क फोर्स समिति की अनुशंसाओं की पालना नहीं की थी एवं परियोजनाऐं प्रारम्भिक गतिविधियों को किये बिना ठेकेदारों को प्रदान की गई थी। परिणामस्वरूप समस्यायें यथा आरओडब्ल्यू, वन विभाग की मंजूरी की आवश्यकता, बिना

अड़चनों की भूमि की उपलब्धता इत्यादि आगे के स्तर पर चिन्हित की गई थी एवं परियोजनाऐं 2 व 64 माह के मध्य सीमा में विलम्ब से पूर्ण हुई थी। परिणामस्वरूप ₹ 56.40 करोड़ के कोष बिना किसी लाभ प्राप्ति के अवरूद्ध रहे एवं आरआरवीपीएनएल को ₹ 66.25 करोड़ मूल्य की 2055.79 एलयूज की प्रणाली व प्रसारण हानियों के रूप में कमी की परिकल्पित विद्युत बचत से वंचित रहने के अलावा अनुपयुक्त भूमि हेतु जेडीए के पास जमा राशि पर ₹ 2.16 करोड़ के टालनीय ब्याज का भार वहन करना पडा था। आरआरवीपीएनएल का नियोजन उत्पादन योजनाओं के अनुरूप नहीं था एवं यह आरआरवीयूएनएल व आरडब्ल्यूपीएल द्वारा परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के कारण उपलब्ध समय में भी विद्युत निष्क्रमण तंत्र पूर्ण नहीं कर सका था ।

प्रसारण तंत्र का निष्पादन

यद्यपि मार्च 2007 के अन्त में वार्षिक चरम मांग (4995.96 एमवीए) 7283.50 एमवीए की स्थापित प्रसारण क्षमता से पहले से ही कम थी फिर भी आरआरवीपीएनएल जीएसएस एवं लाईनों में संवर्धन द्वारा इसमें निरन्तर वृद्धि करता रहा। आरआरवीपीएनएल, आरईआरसी द्वारा जारी किये गये निष्पादन मानक विनियमन 2004 की अनुपालना नहीं कर सका। 2007-08 से 2011-12 के दौरान प्रसारण हानियाँ, सीईए के चार प्रतिशत के मानको के समक्ष 5.57 एवं 6.20 प्रतिशत के मध्य सीमा मे थी। डिस्कामस् द्वारा वहन की गई प्रसारण हानियों की कीमत, आरईआरसी द्वारा लक्षित सीमाओं के आधिक्य में, ₹ 1105.82 करोड़ मूल्य की 3594.598 एमयूज थी।

ग्रिड प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ग्रिड अनुशासन बनाये रखने में विफल रहा व 49.2 हर्टज के नीचे विद्युत आहरित की एवं एनआरएलडीसी ने जुलाई 2009 से मार्च 2012 के दौरान आरआरवीपीएनएल को 65 'सी' प्रकार के संदेश जारी किये।

आपदा प्रबन्धन

आरआरवीपीएनएल ने व्यापक रूप से डीएमपी को लागू नहीं किया था। अधिकतम जोखिम रखने वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की भी पहचान नहीं की गई थी एवं क्षमताओं के परीक्षण हेतु पूरे राज्य में व्यापक कवायद नहीं की गई थी।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

आरईआरसी (मीटरिंग) विनियमन 2007 के तहत अंतरापृष्ठ एवं ऊर्जा लेखांकन व लेखापरीक्षा हेतु न्यूनतम स्वीकार्य विशिष्टीकरण के रूप में निर्धारित मीटर की $0.2_{\text{एस}}$ श्रेणी परिशुद्धता के समक्ष केवल 71 जीटी बिन्दुओं पर $0.2_{\text{एस}}$ श्रेणी मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 57 एवं 14 जीटी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे। साथ ही, 494 टीडी बिन्दुओं मे से केवल 176 बिन्दुओं पर $0.2_{\text{एस}}$ श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे जबकि 266 एवं 39 टीडी बिन्दुओं पर क्रमशः 0.5 एवं 1.0 श्रेणी के मीटर उपलब्ध करवाये गये थे।

वित्त प्रबन्धन

2008-10 के दौरान आरआरवीपीएनएल की वित्तीय स्थिति में अवनति हुई क्योंकि प्रति इकाई कुल लागत, वसूली से अधिक थी। ब्याज लागत, जो कि 2007-11 के दौरान 107.17 प्रतिशत तक बढ़ी, ने भी आरआरवीपीएनएल की लाभदायिकता को प्रभावित किया। आरआरवीपीएनएल ने 2007-12 के दौरान आरईआरसी के समक्ष एआरआर 29 दिनों व 116 दिनों के मध्य सीमा में विलम्ब से दायर की जिसके परिणामस्वरूप आरईआरसी द्वारा इसके

अनुमोदन मे विलम्ब हुआ। आरईआरसी टैरिफ आदेश के क्रियान्वयन में देरी के परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल द्वारा प्रसारण प्रभारों की वसूली या तो पिछले वर्ष की दर पर अथवा अनन्तिम दर पर की गई। इस कारण से 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान एआरआर दायर करने में देरी के लिये प्रसारण प्रभारों की वसूली में विलम्ब से ₹ 4.22 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। साथ ही, निक्षेप कार्यों के लेखांकन हेतु कोई उचित प्रणाली नहीं थी एवं निक्षेप कार्यों के अंतिम लेखों को निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप नहीं दिया गया था। आरआरवीपीएनएल ने 2010-11 के सिवाय 2007-08 से 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पूँजीगत निवेश से ₹ 948.61 करोड़ का अधिक व्यय किया। इसके परिणामस्वरूप आरआरवीपीएनएल को अतिरिक्त व्यय के 20 प्रतिशत समता भाग ₹ 195.72 करोड़ से वंचित होना पड़ा था। साथ ही, आरआरवीपीएनएल ने 2008-09 एवं 2009-10 की एआरआर के ट्रयुइंग अप के दौरान प्रसारण तंत्र की 98 प्रतिशत से अधिक उपलब्धता हेतु ₹ 30.20 करोड़ के प्रोत्साहन का दावा नहीं किया था।

सामग्री प्रबन्धन

यद्यपि भण्डार-गृहों ने 2007-08, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान उपभोग माह के रूप में अंतिम स्कन्ध अधिक संधारित किया लेकिन इसने ना तो कभी एबीसी विश्लेषण किया ना ही सामग्री की आवश्यकता हेतु कोई स्तर निर्धारित किया। साथ ही, क्रियान्वयन विभाग एवं प्रापण वृत के मध्य समन्वय के अभाव के कारण ट्रांसफार्मर्स का उपयोग नहीं किया जा सका एवं कन्डक्टर का अग्रिम प्रापण हुआ।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजनाऐं चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार नहीं की गयी थी एवं इसलिए, अतिरिक्त/कार्यहीन प्रसारण क्षमता वर्ष दर वर्ष बढ़ गयी। आरआरवीपीएनएल, प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना नहीं कर सका। आरआरवीपीएनएल दोषपूर्ण नियोजन एवं परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना नहीं करने के कारण प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय पर पूर्ण नहीं कर सका। प्रसारण हानियाँ सीईए/आरईआरसी द्वारा निर्धारित किये गये स्तर से अधिक थीं। समीक्षा अवधि के दौरान पूँजी निवेश ने प्रसारण हानियों में प्रभावी कमी में योगदान नहीं किया था एवं हानियाँ सीईए व आरईआरसी के मानकों क्रमशः 4 और 4.2 प्रतिशत के समक्ष 6.20 प्रतिशत रही। उत्पादन परियोजनाओं के साथ प्रसारण परियोजनाओं के चालू होने में असंगति थी। आरआरवीपीएनएल ने ग्रिड उप-केन्द्रों पर आपदा प्रबन्धन योजना लागू नहीं की थी तथा उच्चतम जोखिम वाले अतिसंवेदनशील केन्द्रों की पहचान नहीं की गयी थी एवं क्षमताओं की जाँच के लिये कभी व्यापक राज्य-व्यापी कवायद नहीं की गयी थी। आरआरवीपीएनएल नियत समय में एआरआर दायर नहीं कर सका तथा प्रसारण तंत्र की लक्षित से अधिक बढ़ाई गई उपलब्धता के लिये प्रोत्साहन का दावा नहीं किया गया था। पूँजीगत व्यय आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमत्य राशि से अधिक किये गये। अनुचित सामग्री प्रबन्धन के मामले दृष्टवय थे जैसे कि स्कन्ध का उच्च स्तर रखा गया था, सामग्री आवश्यकता से पूर्व प्रापण की गई थी एवं बे महत्वपूर्ण समयावधि के लिये निष्क्रिय रही। संवीक्षा में सात सिफारिशें जिसमें क्षमता परिवर्धन/संवर्धन की योजना चरम मांग एवं विद्यमान प्रसारण क्षमता को ध्यान में रखकर

तैयार करे; परियोजना प्रबन्धन पर टास्क-फोर्स समिति की सिफारिशों की अनुपालना करें एवं प्रसारण परियोजनाओं को नियत समय में पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठाऐ; प्रसारण तंत्र के संचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित आरईआरसी/सीईए द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करे; उत्पादन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के साथ प्रसारण तंत्र की पूर्णता सुनिश्चित करे; आपदा प्रबन्धन योजना को व्यापकता से लागू करना सुनिश्चित करे; आरईआरसी को एआरआर के समयोचित प्रस्तुतीकरण हेतु तंत्र विकसित करे; पूँजीगत व्ययों को आरईआरसी/सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार रखना चाहिए एवं स्कन्ध स्तर का विश्लेषण एवं निगरानी करे इत्यादि सम्मिलित हैं।

(अध्याय 2.1)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) मुख्यतया तीन प्रकार के कार्यों (i) निविदा कार्य (ii) सेन्टेज/निक्षेप कार्य (iii) बीओटी परियोजनाओं का निष्पादन करता है।

कार्य निष्पादन

कार्यों को पूर्ण करने की गति अत्यन्त धीमी थी जैसा कि 2006-07 के प्रारम्भ में निष्पादन हेतु लम्बित 208 कार्यों एवं 2006-12 के दौरान प्राप्त किये गये 286 कार्यों (₹ 3814.66 करोड़) के समक्ष केवल 267 कार्य (₹ 891.06 करोड़) ही पूर्ण एवं ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित किये जा सके थे। लगभग 82 प्रतिशत (186 कार्य) कार्य 18 माह तक के विलम्ब के साथ पूर्ण हुये थे जबकि 18 प्रतिशत मामलों (42 कार्य) में विलम्ब 18 माह से अधिक था। कार्यों का अधिकतम निष्पादन 66 माह का था। पूर्णता में विलम्ब, कार्य प्रदान करने व ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने, ग्राहक विभाग द्वारा आरेखण का देरी से अनुमोदन, ठेकेदार द्वारा पूर्ण करने, कम्पनी द्वारा स्टील व सीमेण्ट की आपूर्ति करने, कार्यों की खराब निगरानी व पर्यवेक्षण एवं ग्राहक विभाग द्वारा कोष जारी करने की वजह से था। इससे कम्पनी की विश्वसनीयता में कमी, जहाँ ग्राहक विभाग द्वारा कार्य वापस लिये गये, के अलावा इसे सेन्टेज की समयोचित वसूली से एवं राज्य को सामाजिक- आर्थिक लाभों से वंचित किया।

निक्षेप/सेन्टेज कार्य

राजस्थान सरकार ने सेन्टेज की दरें बहुत पहले 1996 में निर्धारित की थी परन्तु कम्पनी ने वास्तविक किये गये प्रशासनिक उपरिव्ययों की पूर्ति के पेटे सेन्टेज की पर्याप्तता की कभी समीक्षा नहीं की थी। राजस्थान सरकार के वास्तविक लागत पर नौ प्रतिशत सेन्टेज की वसूली के दिशा निर्देशों के समक्ष एवं 8.06 व 11.48 प्रतिशत के मध्य सीमा के वास्तविक उपरिव्ययों के समक्ष प्रभावी वसूली 7.24 व 8.15 प्रतिशत के मध्य रही, इससे 2006-08 एवं 2009-11 के दौरान ₹ 21.10 करोड़ का अन्तर रहा। इसके अलावा, कम्पनी ने कुल लागत की गणना में ब्याज एवं वित्त प्रभारों को शामिल नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप भी 2010-12 के दौरान निष्पादित की गई परियोजनाओं पर ₹ 2.65 करोड़ के सेन्टेज की कम वसूली हुई। साथ ही, निवेश पर 15 प्रतिशत लाभ, जैसा कि राजस्थान सड़क विकास नियम, 2002 के तहत अनुमत्य किया गया, प्रभारित करने के बजाय कम्पनी ने सात प्रतिशत की दर से सेन्टेज प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप

राज्य सरकार द्वारा 2009-10 के दौरान सुर्पुद की गई 13 सड़कों पर ₹ 17.96 करोड़ के लाभ की कम वसूली हुई।

निविदा कार्य

राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी का व्यवसाय प्रापण प्रकोष्ठ निविदा व्यवसाय को 10 प्रतिशत तक की वृद्धि करने में वृहद रूप से विफल रहा। 2006-12 के दौरान भाग ली गई कुल 195 निविदाओं में से कम्पनी केवल ₹ 65.08 करोड़ मूल्य की तीन निविदायें ही प्राप्त कर सकी। 2006-12 के दौरान पूर्ण किये गये आठ निविदा कार्यों में कम्पनी ने छः कार्यों पर ₹ 2.26 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं दो कार्यों पर ₹ 0.80 करोड़ की हानि वहन की। इन कार्यों पर लाभ प्रशासनिक लागत को विभाजित किये बिना था जिसे ध्यान में रखने के पश्चात् निविदा कार्य ₹ 4.63 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जायेंगे। पूर्ण की गई परियोजनाओं के अंतिम बिल ग्राहक विभागों को प्रस्तुत करने में तीन व 31 माह के मध्य सीमा में सारभूत विलम्ब था एवं मार्च 2012 को ₹ 2.94 करोड़ के भुगतान वसूली हेतु लम्बित थे।

बीओटी परियोजनाऐं

राज्य सरकार द्वारा सुर्पुद की गई बीओटी परियोजनाओं के गलत लेखांकन के कारण कम्पनी ने 2006-12 के दौरान लाभों को ₹ 17.70 करोड़ से अधिक लेखित किया। कम्पनी ने राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं राज्य सरकार के साथ एमओयू के प्रावधानों के विपरीत ब्याज सहित निवेश की वास्तविक वसूली से अधिक ₹ 16.82 करोड़ का टोल संग्रहण किया।

संविदा प्रबन्धन

कम्पनी ने मानक बोली प्रलेख में जोखिम व लागत वाक्यांश को सम्मिलित किये बिना निविदायें आमंत्रित की। दोषी ठेकेदारों द्वारा निष्पादित नहीं किये गये कार्यों पर पुनः बोली आमंत्रित किये जाने के कारण ₹ 15.47 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। कार्यों के निष्पादन में इकाईयों के मध्य समन्वय एवं एकरूपता की कमी थी जैसा कि समान प्रकृति के कार्य विभिन्न इकाईयों द्वारा मुख्य निविदा के साथ जोड़कर अथवा पृथक ठेकों द्वारा निष्पादित किये गये थे एवं समान मदों हेतु बीएसआर की भिन्न-भिन्न दरों को प्रयोग करने के कारण ₹ 48.84 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

यान्त्रिक इकाई

यान्त्रिक इकाई का समग्र निष्पादन संतोषजनक नहीं था एवं इसने कम्पनी के लाभों में ऋणात्मक रूप से योगदान किया था। वर्ष 2009-10 को छोड़कर सभी वर्षो में किराया प्रभार प्रत्यक्ष लागत की पूर्ति करने में भी पर्याप्त नहीं था। कम्पनी ने निक्षेप कार्यों पर भारित की जाने वाली लागत का निर्धारण करते समय मशीनरी पर नियोजित श्रम लागत के तत्व को किराया प्रभार में शामिल नहीं किया था एवं परिणामस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के श्रम प्रभार कम वसूल हुये थे। मार्च 2012 को मशीनरी का समग्र उपयोग एमओएसटी द्वारा अनुशंसा किये गये वार्षिक मानक घंटों के समक्ष मात्र 41.41 प्रतिशत था एवं पृथक-पृथक उपयोग 22.24 एवं 79.38 प्रतिशत के मध्य सीमा में था।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

कम्पनी ने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना तैयार नहीं की थी एवं पूर्णरूप से राज्य सरकार/विभागों/उपक्रमों द्वारा सुर्पुद किये गये कार्यों पर ही निर्भर थी। इसके स्वयं के द्वारा प्राप्त किये गये कार्य लगभग नगण्य थे। मैनुअल के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई थी एवं बजट में विचरणों के विश्लेषण नहीं किये गये थे। अनुचित नियोजन एवं अपर्याप्त संविदा प्रबंधन, परियोजनाओं के

पूर्ण होने में विलम्ब का कारण रहा। राजस्थान सड़क विकास अधिनियम, 2002 एवं राजस्थान सरकार के साथ एमओयू के प्रावधानों के उल्लंघन में अधिक टोल संग्रहण किया गया था। परियोजना का सूत्रीकरण नियमानुसार नहीं था जिसके कारण लाभ की कम वसूली हुई एवं साथ ही सेन्टेज प्रभार भी प्रशासकीय लागत पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे। कम्पनी ने अव्यवहार्य सड़क परियोजनाऐं निष्पादित की एवं निविदाओं का अनुचित मूल्यांकन, लागत व जोखिम वाक्यांश का अभाव एवं इकाईयों के मध्य समन्वय का अभाव के कारण अतिरिक्त व्यय हुआ। संयंत्र व मशीनरी का भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुशंसा किये गये मानक घंटों के समक्ष कम उपयोग हुआ था। संवीक्षा में पाँच सिफारिशें जिसमें सुर्पुद किये गये कार्यों पर निर्भरता को न्यूनतम करने हेतु दीर्घावधि कार्य योजना व वार्षिक योजना तैयार करना; मैनुअल, नियमों, व प्रक्रियाओं की अनुपालना; कार्यों के निष्पादन में विलम्ब को टालने हेतु उचित नियोजन, प्रभावी निगरानी एवं ठेकेदारों के साथ-साथ ग्राहकों से समन्वय; लाभदायिकता बनाये रखने हेतु परियोजनाओं की व्यवहार्यता व सेन्टेज प्रभारों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना; एवं संयत्र व मशीनरी का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करना सम्मिलित है।

(अध्याय 2.2)

3. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित व्यावहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप पीएसयूज के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियाँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण सात मामलों में ₹ 6.77 करोड़ की हानि एवं ₹ 24.20 करोड़ की अवसूली।

(अनुच्छेद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 एवं 3.10)

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों इत्यादि के नियमों व शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 8.59 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.11, 3.12, 3.13 एवं 3.14)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

गिरल लिग्नाईट ऊर्जा लिमिटेड द्वारा इनस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा को अत्यधिक उच्च दरों पर वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान करने एवं उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद इसे दो वर्षों के लिये बढ़ाने की कार्यवाही तथा संचालक मण्डल को गलत निष्पादन आंकलन देने के परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.1)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लागत-लाभ विश्लेषण तैयार करते समय, ब्याज को सम्पूर्ण त्रैमासिक हेतु बचत के रूप में गलत समाहित करने के कारण हुडको ऋण के पूर्वभुगतान पर ₹ 1.47 करोड़ की हानि वहन की।

(अनुच्छेद 3.2)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इसके नियमों का उल्लंघन कर आदतन चूककर्ता उपभोक्ता का विद्युत आपूर्ति का सम्बन्ध विच्छेद विलम्ब से किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.02 करोड़ की देयताओं की वसूली नहीं हुयी।

(अनुच्छेद 3.3)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड की आधारभूत विकास समिति द्वारा फिनप्रोजेक्टस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को भूमि के आवंटन में रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 के नियम 3 (डब्ल्यू) एवं 3(स) के उल्लंघन के कारण कम्पनी को ₹ 2.78 करोड़ के राजस्व की हानि।

(अनुच्छेद 3.6)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने नई कोयला वितरण नीति की मार्ग दर्शिका का पालन नहीं करने एवं अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करने हेतु उचित तंत्र विकसित करने में विफलता के कारण ₹ 1.19 करोड़ की हानि वहन की।

(अनुच्छेद 3.7)

राजस्थान वित्त निगम ने राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 48 की अवहेलना में राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना कर्मचारी भविष्य निधि के लिए दो प्रतिशत आधिक्य अभिदान के रूप में ₹ 4.36 करोड़ की राशि का योगदान किया।

(अनुच्छेद 3.12)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने विशिष्ट आवश्यकताओं का आंकलन किये बिना निविदा प्रलेखों एवं करार मसौदा तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं को नियुक्त किया जिसके कारण प्रलेखों को निरस्त करना पड़ा एवं ₹ 26.06 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 3.13)